रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2011/भाद्र 7, 1933
No. 177] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2011/BHADRA 7, 1933

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. डीडी/137/08/बीओडी/13/09.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उप-नियम (9) के उपबंधों के निबंधनानुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री किशोर कुमार पोद्दार (सदस्यता सं. 039599), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 152, धनीष्ठा, तरंगन टावर्स सीएचएस लिमिटेड, शहीद मंगल पांडे रोड, ठाणे (वेस्ट)-400606 को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के अर्थान्तर्गत आने वाले वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने श्री किशोर कुमार पोद्दार को सुनवाई का अवसर प्रदान के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश किया है कि पूर्वोक्त श्री किशोर कुमार पोद्दार का नाम सात (7) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री किशोर कुमार पोद्दार (सदस्यता सं. 039599) का नाम तारीख 30 अगस्त, 2011 से सात (7) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

वन्दना डी नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/104/11/असा.]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/137/08/BOD/13/09—In terms of the provisions of sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accoutants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, it is hereby notified that Shri Kishore Kumar Poddar (Membership No. 039599) Chartered Accountant, 152, Dhanishtha, Tarangan Towers CHS Ltd., Shaheed Mangal Pandey Road, Thane (W)-400606 has been found guilty of professional misconduct falling within the

meaning of Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute. Thereafter, in terms of provisions of sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, after affording an opportunity of hearing to the said Shri Kishore Kumar Poddar has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Shri Kishore Kumar Poddar be removed from the Register of Members for a period of seven (7) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified that the name of said Shri Kishore Kumar Poddar (Membership No. 039599) shall stand removed from the Register of Members for a period of seven (7) days with effect from 30th August, 2011.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT III/4/104/11/Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. डीडी/03/ई/आईएनएफ/08/बीओडी/21/09.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उप-नियम (9) के उपबंधों के निबंधनानुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि सुश्री रिंकू शॉ केशरवानी (सदस्यता सं. 064121), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 3-ई, देबलोक, 66बी, डॉ. सुरेश सरकार रोड, कोलकाता-700014 को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (8) और खण्ड (9) के अर्थान्तर्गत आने वाले वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सुश्री रिंकू शॉ केशरवानी को सुनवाई का अवसर प्रदान के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश किया है कि पूर्वोक्त सुश्री रिंकू शॉ केशरवानी का नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सुश्री रिंकू शॉ केशरवानी (सदस्यता सं. 064121) का नाम तारीख 30 अगस्त, 2011 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/104/11/असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/03/E/INF/08/BOD/21/09.—In terms of the provisions of sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accoutants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, it is hereby notified that Ms. Rinku Shaw Kesharwani (Membership No. 064121) Chartered Accountant, 3-E, Deblok, 66B, Dr. Suresh Sarkar Road, Kolkata-700014 has been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of Clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute. Thereafter, in terms of provisions of sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, after affording an opportunity of hearing to the said Ms. Rinku Shaw Kesharwani has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Ms. Rinku Shaw Kesharwani be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified that the name of said Ms. Rinku Shaw Kesharwani (Membership No. 064121) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 30th August, 2011.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT III/4/104/11/Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2011

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. डीडी/212/08/बीओडी/22/09 और डीडी/229/08/बीओडी/23/09.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उप-नियम (9) के उपबंधों के निबंधनानुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री प्रशांत कुमार रॉय बर्मन (सदस्यता सं. 013905), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 140ए/4, एन.एस.सी. बोस रोड, पी. ओ. रिजेंट एस्टेट, कोलकाता-700092 को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के अर्थान्तर्गत आने वाले वृत्तिक कदाचार और पहली अनुसूची के भाग 4 के खण्ड (2) के अर्थांतर्गत आने वाले अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उप-नियम (1) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने श्री प्रशांत कुमार रॉय बर्मन को सुनवाई का अवसर प्रदान के के पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश किया है कि पूर्वोक्त श्री प्रशांत कुमार रॉय बर्मन का नाम तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए जो ऊपर उल्लिखित दोनों मामलों में साथ-साथ लागू होगा। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री प्रशांत कुमार रॉय बर्मन (सदस्यता सं. 013905) का नाम तारीख 30 अगस्त, 2011 से तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/104/11/असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2011

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/212/08/BOD/22/09 & DD/229/08/BOD/23/09.—In terms of the provisions of sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accoutants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, it is hereby notified that Shri Prasanta Kumar Roy Barman (Membership No. 013905) Chartered Accountant, 140A/4, N. S. C. Bose Road, P O. Regent Estate, Kolkata-700092 has been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of Clause (11) of Part I of First Schedule and also guilty of other misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipaline of the Institute. Thereafter, in terms of provisions of sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, after affording an opportunity of hearing to the said Shri Prasanta Kumar Roy Barman has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act has *inter alia* ordered that the name of aforesaid Shri Prasanta Kumar Roy Barman be removed from the Register of Members for a period of three (3) months which would run concurrently in both the matters mentioned above. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified that the name of said Shri Prasanta Kumar Roy Barman (Membership No. 013905) shall stand removed from the Register of Members for a period of three (3) months with effect from 30th August, 2011.

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT III/4/104/11/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.